भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †393

सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

नासिक में पर्यटन गंतव्यों का विकास एवं प्रचार-प्रसार

†393. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नासिक को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में समग्र विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु सरकार द्वारा किए विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है तथा अवसंरचना में सुधार, नवोन्मेषी ब्रांडिंग तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या पहल की गई है;

(ख) नासिक में प्रमुख पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं जैसे धार्मिक परिपथों का विकास, अंगूर के बागानों का विकास तथा पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन के लिए किए गए वित्तीय आवंटनों एवं उनके पूर्ण होने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) समुदाय की सहभागिता, संधारणीयता तथा तीर्थाटन मौसम से इतर वर्ष भर पर्यटन को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नासिक के पर्यटन क्षेत्र को दीर्घकालिक वृद्धि करने एवं स्थानीय पर्यटन उद्योग में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई साझेदारियों, कौशल विकास तथा वैश्विक स्तर के आयोजनों के माध्यम से सहायता देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन (एसडी 2.0)', चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना, 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की जारी योजनाओं के माध्यम और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को लक्षित करते हुए अपने सतत संवर्धनात्मक प्रयासों के तहत, नासिक सहित देश के विभिन्न स्थलों और पर्यटन उत्पादों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेलों और महोत्सवों में भागीदारी तथा अन्य प्रचार संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से बढ़ावा देता है।

पर्यटन मंत्रालय ने नासिक (महाराष्ट्र) में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

योजना का नाम	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**
प्रशाद	त्र्यंबकेश्वर, नासिक का विकास	45.41
पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई योजना)	नासिक में राम-काल पथ का विकास	99.14

पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता है और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

इन योजनाओं के तहत मंत्रालय समुदाय-आधारित और उत्तरदायी पर्यटन पर विशेष बल देता है, जिसमें संबंधित स्थलों पर स्थायित्व सुनिश्चित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित देश भर में पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और प्रमाणन प्रदान करने के लिए 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी)' शुरू की है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास, बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवा, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और स्थायी पर्यटन के विकास में सहयोग करने के उद्देश्य से समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकारों और पैनलबद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उपर्युक्त पर्यटन अवसंरचना विकास योजनाओं के तहत स्वीकृत पर्यटन स्थल और परियोजनाएं भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पूरी हो चुकी परियोजनाओं के सतत संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। जहां भी आवश्यक हो, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सुविधाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की संभावनाएं खोजी जाती हैं।

*****